	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, (आईआरडीएआई) हैदराबाद

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

वर्तमान शोधक्षमता पूँजी व्यवस्था से जोखिम आधारित पूँजी व्यवस्था के कार्यान्वयन पर परामर्शक सेवा के लिए

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण,
(आईआरडीएआई)
सर्वे सं. 115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, गच्चीबाउली,
हैदराबाद-500032
टेलीफोन सं. 040 – 20204000

अनुक्रमणिका

क्रम सं	विषय-सूची	पृष्ठ सं
1.	**अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण का विज्ञापण पत्र**	3
2.	**अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण**	4

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

हैदराबाद 500032

अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इसमें इसके बाद "आईआरडीएआई" के रूप में उल्लिखित) भारतीय बीमा उद्योग के लिए जोखिम आधारित पूँजी (इसमें इसके बाद "आरबीसी" के रूप में उल्लिखित) के कार्यान्वयन के लिए परामर्शदात्री कंपनी/ फर्मों/ एजेंसियों/ संगठनों/ संस्थाओं (इसमें इसके बाद "परामर्शदाता/ओं" के रूप में उल्लिखित) से मुहरबंद अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है।

योग्यता के मानदंडों, प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा, आदि के विवरण के साथ संक्षिप्त उद्देश्य और कार्य के विस्तार एवं मूल्यांकन के मानदंडों से युक्त ईओआई दस्तावेज वेबसाइट www.irdai.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण, यदि कोई अपेक्षित हो, कार्यकारी निदेशक (सामान्य) – सर्वे सं. 115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, गच्चीबाउली, हैदराबाद-500032 से कार्य-समय के दौरान प्राप्त किया जा सकता है। ईओआई की प्रस्तुति के लिए अंतिम तारीख 30 जनवरी 2018 को अथवा उससे पहले है। ईओआई और हैदराबाद में देय "भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण" के नाम माँग ड्राफ्ट (डीडी)/ भुगतान आदेश के रूप में रु. 50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) के वापस न करने योग्य शुल्क से युक्त, निम्नलिखित पते को अंकित मुहरबंद लिफाफा, उसके शीर्ष पर "आरबीसी के कार्यान्वयन के लिए ईओआई" का उल्लेख करते हुए, प्रस्तुत करें:

"श्री एम. पुल्ला राव,
कार्यकारी निदेशक (सामान्य)
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण,
सर्वे सं. 115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, गच्चीबाउली,
हैदराबाद-500032
टेलीफोन सं. 040 – 20204000

(एम. पुल्ला राव)
कार्यकारी निदेशक (सामान्य)
आईआरडीएआई, हैदराबाद

दिनांक: 09.01.2018

टिप्पणीः आईआरडीएआई के पास ईओआई के लिए इस अनुरोध को निरस्त करने और/या ईओआई के लिए ऐसे अनुरोध हेतु 50,000/- रुपये के वापस न करने योग्य शुल्क से अनधिक देयता अथवा किसी बाध्यता के बिना तथा कोई कारण निर्दिष्ट किये बिना संशोधनों के साथ या संशोधनों के बिना नये सिरे से ईओआई को आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित है। इस स्तर पर दी गई सूचना निर्देशात्मक है तथा आईआरडीएआई के पास ईओआई में संशोधन करने / अतिरिक्त विवरण जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है।

वर्तमान शोधक्षमता पूँजी से जोखिम आधारित पूँजी व्यवस्था के कार्यान्वयन
के लिए
अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए आमंत्रण

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इसमें इसके बाद "आईआरडीएआई" के रूप में उल्लिखित) भारत में बीमा उद्योग के लिए उपयुक्त जोखिम आधारित पूँजी (इसमें इसके बाद "आरबीसी" के रूप में उल्लिखित) ढाँचे के कार्यान्वयन के संबंध में आईआरडीएआई की सहायता करने तथा इस संबंध में आवश्यक और महत्वपूर्ण परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सुप्रसिद्ध परामर्शदात्री कंपनियों/फर्मों/एजेंसियों/संगठनों/संस्थाओँ से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है।

मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

1. आईआरडीएआई एक जोखिम आधारित पूँजी (आरबीसी) व्यवस्था की दिशा में अग्रसर होने का अभिप्राय रखता है जो भारतीय बीमा उद्योग के लिए उपयुक्त और अनुकूल है। भारत में आरबीसी ढाँचे को कर्यान्वित करने के लिए आईआरडीएआई अर्हताप्राप्त परामर्शदाताओं की सहायता लेना चाहता है और इस प्रकार उपर्युक्त परियोजना के लिए आवश्यकतानुसार अपेक्षित विश्लेषण और भारत-विशिष्ट अध्ययन करने, प्रस्ताव के लिए अनुरोध के माध्यम से तय की जानेवाली शर्तों के अनुसार जोखिम आधारित पूँजी ढाँचे को विकसित और कर्यान्वित करने एवं तदनुसार विनियमों का प्रारूप बनाने में आईआरडीएआई की सहायता करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है।
2. आईआरडीएआई आरबीसी व्यवस्था में परिवर्तन विश्व भर में अन्य अधिकार-क्षेत्रों में अनुसरण किये जा रहे सिद्धांतों के अनुरूप तथा अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ के प्रचलित

बीमा संबंधी मुख्य सिद्धांतों के अनुकूल, परंतु भारतीय संदर्भ में उपयुक्त समायोजनों के साथ और उद्योग पर संभावित प्रभाव की एक बेहतर समझ प्राप्त करने के बाद करेगा।

3. परामर्शदाता उपयुक्त रूप में भारत के लिए जीवन बीमा, साधारण बीमा, स्वास्थ्य बीमा, और पुनर्बीमा व्यवसायों को समाविष्ट करते हुए उक्त आरबीसी ढाँचे का विकास करने, उसका परिमार्जन करने, और उसकी सिफारिश करने का लक्ष्य रखेगा/ रखेंगे। परामर्शदाता विनियमों का प्रारूप विकसित करने और तैयार करने में एक समावेशी अथवा परामर्शक दृष्टिकोण अपनाएगा/ अपनाएँगे।
4. चयनित परामर्शदाता भारतीय बीमा उद्योग में आरबीसी दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के संबंध में आईआरडीएआई की सहायता (क) जोखिम आधारित पूँजी (आरबीसी) दृष्टिकोण और देयताओं के बाजार अनुकूल मूल्यांकन (एमसीवीएल); एवं (ख) बीमा क्षेत्र में जोखिम आधारित शोधक्षमता दृष्टिकोण के लिए रूपरेखा संबंधी आईआरडीएआई समितियों की सिफारिश के अनुरूप करेगा/ करेंगे।
5. मुख्य उद्देश्य और कार्य के विस्तार संबंधी अतिरिक्त विवरण के लिए भारतीय बीमा व्यवसाय के आरबीसी दृष्टिकोण और देयताओं के बाजार अनुकूल मूल्यांकन (एमसीवीएल) संबंधी आईआरडीएआई समिति की रिपोर्ट (पहला भाग दिनांक 19 नवंबर 2016 और दूसरा/ अंतिम भाग दिनांक 17 जुलाई 2017) एवं बीमा क्षेत्र में जोखिम आधारित शोधक्षमता दृष्टिकोण के लिए रूपरेखा संबंधी समिति की रिपोर्ट (दिनांक 22 अप्रैल 2014) का संदर्भ लिया जाएगा। उपर्युक्त दोनों दस्तावेज उक्त परियोजना के लिए संदर्भ बिन्दु होंगे।
6. आरबीसी के संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा उकत परियोजना को प्रारंभ करने से लेकर 3 वर्ष होगी। तथापि, आईआरडीएआई के पास उक्त दिनांकों को आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

भारतीय बीमा उद्योग के लिए जोखिम आधारित पूँजी व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु परामर्शदाता/ओं की नियुक्ति के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) दस्तावेज

1. **पृष्ठभूमिः**

आईआरडीएआई एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना बीमा पॉलिसियों के पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने तथा बीमा उद्योग की सुव्यवस्थित संवृद्धि का विनियमन करने, उसका संवर्धन करने और उसे सुनिश्चित करने के लिए तथा उसके साथ संबद्ध और उसके लिए प्रासंगिक मामलों के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (इसमें इसके बाद "आईआरडीए अधिनियम" के रूप में उल्लिखित) की धारा 3(1) के अधीन की गई। आईआरडीएआई के बारे में सूचना के लिए वेबसाइट www.irdai.gov.in का अवलोकन करें। आईआरडीएआई का प्रधान कार्यालय हैदराबाद में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई और नई दिल्ली में हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वी और 64वीए के साथ पठित आईआरडीए अधिनियम की धारा 14(2)(I) के अनुसार आईआरडीएआई के पास शोधक्षमता के मार्जिन के अनुरक्षण को विनियमित करने का दायित्व है। बीमा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 13 और धारा 15 के अनुसार शोधक्षमता संबंधी विवरणियाँ प्रस्तुत करें।

आईआरडीएआई ने (क) बीमा क्षेत्र में जोखिम आधारित पूँजी दृष्टिकोण के लिए रूपरेखा तथा (ख) जोखिम आधारित पूँजी दृष्टिकोण और देयताओं के बाजार अनुकूल मूल्यांकन संबंधी दो समितियों का गठन किया है। इन समितियों ने अपनी रिपोर्टें 22 अप्रैल 2014, 19 नवंबर 2016 और 17 जुलाई 2017 को प्रस्तुत कीं। ये रिपोर्टें आईआरडीएआई की वेबसाइट (www.irdai.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

2. **उद्देश्यः**

आरबीसी दृष्टिकोण और एमसीवीएल संबंधी समिति की सिफारिश के अनुसरण में आरबीसी और एमसीवीएल तथा बीमा क्षेत्र में जोखिम आधारित शोधक्षमता दृष्टिकोण के लिए रूपरेखा संबंधी समितियों की सिफारिशों के अनुसार जोखिम आधारित पूँजी हेतु विनियमों का प्रारूप बनाने एवं भारतीय बीमा उद्योग के लिए जोखिम आधारित पूँजी व्यवस्था का कार्यान्वयन करने के लिए आईआरडीएआई की सहायता करने हेतु सेवाएँ प्रदान करने के लिए आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) के लिए एक पूर्वापेक्षा के रूप में चयनित सूची तैयार करने हेतु प्रसिद्ध और अर्हता-प्राप्त "बोली लगानेवालों" (बिड्डर्स) से अभिव्यक्ति की अभिरुचि (ईओआई) आमंत्रित करने के द्वारा प्रतिष्ठित परामर्शदाता/ओ की सेवाएँ किराये पर लेने की आवश्यकता है।

3. ईओआई का प्रयोजनः

इस ईओआई का प्रयोजन इसके नीचे निर्धारित मानदंडों के आधार पर अभिरुचि रखनेवाले "बोली लगानेवालों" का मूल्यांकन करना है ताकि वे आरएफपी के लिए एक पूर्वापेक्षा के रूप में विचारार्थ विषयों के अनुरूप आईआरडीएआई को प्रदान की जानेवाली सेवाओं के लिए अपनी प्रतिक्रियाएँ तैयार कर सकें और प्रस्तुत कर सकें।

4. परियोजना के विचारार्थ विषयः

4.1 विचारार्थ मुख्य विषय नीचे दिये जाते हैं तथा आरएफपी के भाग के रूप में और ईओआई प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर इनका विस्तार किया जा सकता है।

(i) परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित होगा कि वे आरबीसी दृष्टिकोण और एमसीवीएल तथा बीमा क्षेत्र में जोखिम आधारित शोधक्षमता दृष्टिकोण के लिए रूपरेखा संबंधी समितियों की रिपोर्टों, बीमा अधिनियम, 1938 तथा अन्य संबंधित विधियों और अधीनस्थ विधानों का अध्ययन करें। परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित है कि ऊपर उल्लिखित समितियों की सिफारिश के आधार पर भारतीय बीमा कंपनी की शोधक्षमता का निर्धारण करने हेतु जोखिम आधारित पूँजी व्यवस्था का कार्यान्वयन करने के लिए कार्यपद्धति/प्रणालियाँ/प्रक्रिया सुझाएँ।

(ii) परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित होगा कि वे उद्योग की तैयारी के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने, परिकलनों, धारणाओं आदि के साथ अंतराल विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक व्यापक अध्ययन संचालित करें जिससे वर्तमान व्यवस्था में विद्यमान एवं आरबीसी व्यवस्था के अंतर्गत अपेक्षित परिकलनों की तुलना की जा सके।

(iii) परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित होगा कि वे भारतीय बीमा बाजार की विशेषताओं पर विचार करें जिनमें कम से कम बीमाकर्ताओं के व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल, कानूनी संरचनाएँ और परिवेश, उत्पाद और वितरण ढाँचा, भारतीय बीमा बाजार के लिए प्रयोज्य आर्थिक और पूँजी बाजार परिवेश शामिल किये जाने चाहिए।

(iv) परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित होगा कि वे भारतीय बीमा व्यवसाय के संदर्भ में मुख्य जोखिमों, जिन्हें उक्त ढाँचे में शामिल करना होगा, तथा विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए उपयुक्त विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन करें।

(v) परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित होगा कि वे (क) जीवन बीमा के लिए और (ख) स्वास्थ्य बीमा सहित साधारण बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करें। तथापि, परामर्शदाता केवल एक ही बार शुल्क अदा कर सकता है/ कर सकते हैं, भले ही वे दो आवेदन प्रस्तुत कर रहे हों।

(vi) प्रस्तावित रूपरेखा अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) द्वारा जारी किये गये प्रचलित बीमा के मुख्य सिद्धांतों (आईसीपीएस) में विनिर्दिष्ट रूप में मार्गदर्शी सिद्धांतों और मुख्य मानदंडों पर विचार करेगी तथा आईएआईएस और भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा विकसित किये जा रहे रूप में वैश्विक पूँजी मानकों (वैश्विक बीमा पूँजी मानक "आईसीएस" सहित) में हाल की प्रगति को हिसाब में लेगी।

(vii) परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित होगा कि वे नियुक्ति की अवधि के दौरान तथा आरएफपी में यथाविनिर्दिष्ट रूप में सहमत समय-सीमाओं के अनुसार मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस) संचालित करने के लिए एक ढाँचा विकसित करें और कम से कम इस प्रकार के 3 अध्ययन संचालित करें।

(viii) परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित होगा कि वे लक्ष्यों के व्यासमापन (कैलिब्रेशन्स) पर्यंत पहुँचने तक सिफारिशें करने और/ सुझाये गये आरबीसी विनियमों के प्रारूप में संशोधन करने के लिए क्यूआईएस (मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन) संचलित करें। इसमें डेटा संग्रहण के लिए फार्मेट अभिकल्पित करना, क्यूआईएस के सहभागी बीमाकर्ताओं के लिए संक्षिप्त विवरण सत्र/ सत्रों का संचालन करना, उन्हें अपेक्षित डेटा और सूचना स्पष्ट करना तथा इस प्रयोजन हेतु डेटा फार्मेट भरने के लिए उनकी सहायता करने के लिए सहभागी बीमाकर्ताओं से प्राप्त पूछताछ के उत्तर देना शामिल है।

(ix) परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित होगा कि वे सुझाये गये माँडल के आधार पर जोखिम आधारित पूँजी व्यवस्था के अनुसरण में भारतीय बीमा उद्योग पर संभाव्य रूप से पड़नेवाले प्रभाव का आकलन करें और उसकी सूचना दें।

(x) परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित होगा कि वे जोखिम प्रभार निर्धारित करने के लिए जोखिम मानदंडों के व्यासमापन (कैलिब्रेशन) सहित भारत में आरबीसी के लिए विस्तृत विनियमों का प्रारूप विकसित करें और उसकी सिफारिश करें।

(xi) उक्त सिफारिश में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिएः

क. आस्तियों और देयताओं के मूल्यांकन, तकनीकी प्रावधान, पूँजीगत आवश्यकताएँ, जोखिम व्यासमापन (कैलिब्रेशन्स) तथा लाइसेंसप्राप्त बीमाकर्ता द्वारा सामना किये जा रहे सभी संबंधित और महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान करने और उनका आकलन करने के लिए सभी अपेक्षाओं के मात्रात्मक पहलू (इस बात के साथ कि विभिन्न जोखमों का भारांकन कैसे किया जाता है तथा कैसे ऐसे जोखिम एक दूसरे के साथ परस्पर सक्रिय रहते हैं), जिससे ऐसे मॉडल तक पहुँचा जा सके जो ऐसी अपेक्षित पूँजी की राशि का निर्धारण करता है कि वे उल्लेखनीय अप्रत्याशित हानियों को सह सकें, आस्तियों की ओर समायोजन, यदि कोई हों, जोखिमों का समूहन और विविधीकरण।

ख. कॉरपोरेट अभिशासन, उद्यम जोखिम प्रबंध (ईआरएम) तथा स्वयं के जोखिम और शोधक्षमता का निर्धारण ("ओआरएसए") का गुणात्मक पहलू एवं

ग. आईआरडीएआई एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को प्रकट की जानेवाली मात्रात्मक और गुणात्मक सूचना संबंधी प्रकटीकरण पहलू।

(xii) परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित होगा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए किन्हीं भी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले उद्योग के खिलाड़ियों के साथ समन्वयन करें कि नई अपेक्षाएँ और परिवर्तन प्रस्तावित विनियमों के साथ सुयोजन करते समय बीमाकर्ताओं और कुल मिलाकर उद्योग की स्थिरता को बाधित न करें।

(xiii) परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित होगा कि वे मानदंडों के अगले संशोधन के लिए समय-सीमा सहित वर्तमान पूँजी व्यवस्था से आरबीसी व्यवस्था में संक्रमण की व्यवस्थाओं के संबंध में आईआरडीएआई को सिफारिशें करें।

(xiv) परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित होगा कि वे वर्तमान विनियमों में संशोधन विकसित करें और सुझाएँ जो वर्तमान व्यवस्था से आरबीसी व्यवस्था तक परिवर्तन में अपेक्षित हों।

(xv) परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित होगा कि वे इस बात के साथ पूँजीगत पर्यवेक्षी दृष्टिकोण के लिए सिफारिशें उपलब्ध कराएँ कि शोधक्षमता का उपयुक्त नियंत्रण स्तर (सीएलएस) कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए तथा यदि कोई बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार अपेक्षित सीएलएस का अनुरक्षण नहीं करता, तो विनियामक हस्तक्षेप के उपायों का स्तर क्या होगा।

(xvi) परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित होगा कि वे निरंतर आवधिक विनियामक निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए मानकीकृत टेंप्लेट तैयार करें और उपलब्ध कराएँ।

(xvii) परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित होगा कि वे कोई विशिष्ट सिफारिश करते समय विचार की जानेवाली और ऐसे निष्कर्षों के लिए आधार समझी जानेवाली विभिन्न वैकल्पिक पद्धतियों के साथ जोखिम पूँजीगत अपेक्षाओं, उपलब्ध पूँजीगत मानदंडों, एवं शोधक्षमता मार्जिन का नियंत्रण स्तर बनाये रखने के लिए पर्यवेक्षी पूँजीगत आवश्यकता के स्तरों को समाविष्ट करते हुए एक संपूर्ण परामर्श प्रलेख उपलब्ध कराएँ। इस दस्तावेज में वे सभी निर्णय अथवा निष्कर्ष शामिल किये जाने चाहिए जो वर्तमान व्यवस्था से आरबीसी व्यवस्था में संक्रमण की प्रक्रिया के दौरान किये जाते हैं।

(xviii) परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित है कि वे स्वीकार्य आदर्श प्रलेखन मानकों के अनुसार संपूर्ण प्रलेखीकरण और लेखा-परीक्षा खोजों (ट्रेल्स) के साथ प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जानेवाले संपूर्ण व्यासमापन (कैलिब्रेशन) मॉडल दें जिससे आईआरडीएआई एक निरंतर आधार पर इन मॉडलों को समझ सके, उनका उपयोग कर सके और इन मॉडलों का आशोधन कर सके।

(xix) आईआरडीएआई द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, तब परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित होगा कि वे आरबीसी ढाँचे और उसके कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर उद्योग के खिलाड़ियों और विनियामक स्टाफ को शिक्षित करने के लिए सेमिनार आयोजित करें।

4.2 प्रत्याशित परिणामः

(i) बीमाकर्ताओं के अंतराल निर्धारण और जोखिम पहचान के साथ संयोजन करते हुए संचालित परामर्शक अध्ययन की रिपोर्ट।

(ii) चयनित बीमाकर्ताओं के एक सेट पर मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन की रिपोर्ट 1

क. जोखिम पूँजी का निर्धारण करने और आरबीसी में शामिल किये जानेवाले जोखिमों की पहचान करने के लिए दृष्टिकोण।

ख. आरबीसी में शामिल किये जानेवाले जोखिमों की समीक्षा और प्रस्तावित जोखिम ग्रिड को अंतिम रूप देना।

(iii) जोखिम की पहचान हेतु मानदंड निर्धारित करने के लिए मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन की रिपोर्ट 2

(iv) प्रस्तुतीकरण के लिए टेम्प्लेटों को अंतिम रूप देना – आवधिक प्रकटीकरण – प्रोफार्मे के प्रारूप की प्रस्तुतियाँ

(v) विनियामक स्टाफ और अन्य हितधारकों के लिए केन्द्रित प्रशिक्षण, सभी बीमाकर्ताओं और हितधारकों को शिक्षित करने के लिए सेमिनार और प्रशिक्षण आयोजित करना

(vi) किसी भी बेहतर परिवर्तन का निर्धारण करने अथवा प्रोफार्मा प्रस्तुतियों के आधार पर अतिरिक्त परिष्करण के लिए मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन की रिपोर्ट 3,

(vii) अत्यावश्यक विषय-वस्तु पर केन्द्रित करते हुए तथा प्रयोज्य विनियम बनाते हुए उद्योग के स्तर पर अंतिम प्रभाव निर्धारण,

(viii) पुरालेखों और अन्य संबंधित प्रलेखीकरण सहित अंतिम रिपोर्ट – विनियामक हस्तक्षेप, यदि कोई हो – कॉरपोरेट अभिशासन और जोखिम प्रबंधन – आईएआईएस विनिर्देशों के संबंध में अंतराल निर्धारण रिपोर्ट

(ix) विनियामक स्टाफ और कंपनियों के साथ समीक्षा, वैयक्तिक प्रस्तुतीकरणों पर प्रतिसूचना दें।

4.3 नियुक्ति की अवधिः परामर्शदाता/ओं से अपेक्षित होगा कि वे परियोजना को प्रारंभ करने की तारीख से तीन वर्ष की न्यूनतम समय-सीमा के अधीन तब तक प्रतिबद्ध रहें जब तक आईआरडीएआई द्वारा परियोजना को समाप्त घोषित नहीं किया जाता।

4.4 पर्यवेक्षणः परामर्शदाता परियोजना का कार्य इस प्रयोजन के लिए आईआरडीएआई द्वारा जोखिम आधारित पूँजी व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए गठित संचालन समिति के पर्यवेक्षण के अधीन करेगा/करेंगे।

5. अर्हता-पूर्व मानदंडः

बोली लगानेवलों से अपेक्षित है कि वे नीचे उल्लिखित रूप में अर्हता-पूर्व मानदंडों को पूरा करें :

5.1 अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ

परामर्श कार्य के प्रस्ताव अनिवार्यतः नीचे निर्धारित अत्यावश्यक अपेक्षाओं को पूरा करें :

5.1.1 परामर्शदाता अथवा उसके मूल, सहयोगी और / या सहायक कंपनी के लिए यह अनिवार्य है कि वह कम से कम एक बीमांकिक सेवा अथवा परामर्श कार्य सेवा प्रदान और समाप्त कर चुका हो।

5.1.2 परामर्शदाता अनिवार्यतः परामर्श कार्य ("परियोजना टीम") के कार्यनिष्पादन के लिए एक परियोजना नामांकित करें। प्रस्तावित परियोजना टीम में कम से कम चार व्यक्ति होने चाहिए, जिनमें से एक को टीम के नेता के रूप में किया जाना चाहिए।

5.1.3 परामर्शदाता अथवा उसकी मूल, सहयोगी और / या सहायक कंपनियों के लिए आवश्यक है कि उन्हें भारत में अथवा भारत के बाहर किसी विनियमनकर्ता अथवा व्यावसायिक निकाय अथवा किसी सरकारी एजेंसी के द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।

5.1.4 प्रस्तावित टीम के नेता के लिए यह अनिवार्य है कि

5.1.4.1 परामर्शदाता फर्म / कंपनी का एक पूर्णकालिक स्टाफ होना चाहिए;

5.1.4.2 एक अर्हता-प्राप्त बीमांकक होना चाहिए जिसके पास निम्नलिखित कम से कम एक व्यावसायिक अर्हता अथवा उसके समकक्ष अर्हता हो;

5.1.4.2.1 भारतीय बीमांकक संस्थान (एफआईएआई) का फेलो,

5.1.4.2.2 बीमांकक सोसाइटी (एफएसए) का फेलो,

5.1.4.2.3 बीमांकक संस्थान और संकाय (एफआईए / एफएफए) का फेलो.

5.1.4.2.4 इन्स्टीट्यूट ऑफ ऐक्चुअरीस ऑफ आस्ट्रेलिया (एफआईएए) का फेलो,

5.1.4.2.5 केनाडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ ऐक्चुअरीस (एफसीआईए) का फेलो, अथवा

5.1.4.2.6 कैजुआल्टी ऐक्चुएरियल सोसाइटी (एफसीएएस) का फेलो, तथा

5.1.4.3 उसके पास अनिवार्यतः कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए जिसके दौरान उसने अवश्य बीमांकिक विज्ञान, बीमा और / या वित्त के क्षेत्रों में परामर्शक कार्य में अदा की गई भूमिकाओं के तौर पर वरिष्ठ प्रबंधन और / या वरिष्ठ परामर्शदाता अथवा उससे उच्चतर स्तर पर पद सँभाला हो। अपेक्षित अनुभव के वर्षों की गणना करने के लिए निर्दिष्ट तारीख ईओआई की प्रस्तुति की अंतिम तारीख होगी।

5.1.4.4 पिछले तीन वर्षों में उसे उपर्युक्त संस्थान द्वारा किसी अनुशासनिक कार्रवाई

अथवा जाँच के अधीन नहीं होना चाहिए

कोई भी प्रस्ताव जो ऊपर निर्धारित किसी भी अत्यावश्यक अपेक्षा को पूरा नहीं करता, निरर्हित किया जाएगा।

5.2 अधिमान्य अपेक्षाएँ

5.2.1 यह बात अत्यंत अधिमान्य है कि परामर्शदाता अथवा उसकी मूल, सहयोगी और/या सहायक कंपनियों ने आरबीसी व्यवस्था के कार्यान्वयन पर कम से कम एक बीमांकिक सेवा अथवा परामर्शक सेवा उपलब्ध कराई हो और पूरी की हो।

5.2.2 यह अधिमान्य है कि टीम के नेता के पास आरबीसी व्यवस्था के लिए मूल्यांकन और अन्य मात्रात्मक पहलुओं पर विनियम बनाने का अनुभव हो। ऐसे अनुभव को उच्चतर अंक दिये जाएँगे, विशेष रूप से उन सेवाओं के लिए जो ईओआई की प्रस्तुति की तारीख से पहले 36 महीनों के अंदर पूरी की गई हों। इस आशय के लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।

5.2.3 आरबीसी व्यवस्था संबंधी अन्य बीमांकिक सेवाओं अथवा परामर्शक सेवाओं के संबंध में टीम के नेता के अनुभव के लिए, आरबीसी व्यवस्था के क्षेत्र के संबंध में की गई सेवाओं को उच्चतर अंक दिये जाएँगे, विशेष रूप से ईओआई की प्रस्तुति की अंतिम तारीख से पहले 18 महीने के अंदर पूरी की गई सेवाओं के लिए।

5.2.4 यह अधिमान्य है कि टीम के नेता के पास ऊपर बताई गई अर्हताओं के अलावा बीमा अथवा जोखिम प्रबंध अथवा वित्त के क्षेत्र में अतिरिक्त व्यावसायिक अर्हता(एँ) हों।

5.2.5 टीम के नेता से प्रत्याशित है किः

5.2.5.1 वह आईआरडीएआई के प्रतिनिधि के साथ संचार के लिए प्राथमिक संपर्क बिन्दु हो; तथा

5.2.5.2 संविदा की पूरी अवधि के दौरान वह भारत में स्थित हो; तथा

5.2.5.3 वह पूर्णकालिक आधार पर आरबीसी परियोजना में सक्रिय रूप से संबद्ध हो।

5.2.6 ऊपर उल्लिखित रूप में टीम के कम से कम दो अन्य सदस्यों को जीवन और साधारण बीमा व्यवसाय में विशेषज्ञता के साथ अर्हता-प्राप्त बीमांकक होने चाहिए।

परियोजना टीम के अन्य सदस्यों के पास बीमांकिक विज्ञान, लेखांकन, वित्त, बीमा प्रबंध अथवा बीमा विनियामक सेवाओं में अर्हताएँ, अनुभव, कौशल और विशेषज्ञता होनी चाहिए। यह अधिमान्य है कि सदस्यों के पास आरबीसी व्यवसाथा संबंधी सेवाओं के विषय में अनुभव होना चाहिए, विशेष रूप से आरबीसी व्यवस्था के मात्रात्मक पहलुओं के

संबंध में। ऐसे अनुभव को उच्चतर अंक प्रदान किये जाएँगे, विशेष रूप से बोली समाप्त करने के समय से पहले 18 महीने के अंदर पूरे किये गये आरबीसी कार्यान्वयन के लिए। टीम के आकार को चाहिए कि वह इस परियोजना के लिए बीमा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों (जीवन/साधारण/स्वास्थ्य/ पुनर्बीमा) के लिए अपेक्षित सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञताओं को प्रतिबिंबित करे। इस आशय का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।

5.2.7 उपर्युक्त पैराग्राफ में उल्लिखित अपेक्षा के अधीन, जहाँ टीम के नेता के लिए अवश्य परामर्शदाता फर्म का एक पूर्णकालिक कर्मचारी होना चाहिए, परामर्शदाता फर्म को इस बात की अनुमति दी गई है कि वह परामर्श कार्य के प्रयोजन हेतु परियोजना टीम बनाने के लिए अपने स्वयं के स्टाफ और/ या अपनी मूल, सहयोगी और / या सहायक कंपनियों के स्टाफ को नियुक्त करे।

5.2.8 यह अधिमान्य है कि संविदा की समूची अवधि के दौरान परियोजना टीम भारत में स्थित हो।

5.2.9 यह अधिमान्य है कि परियोजना टीम की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर की जाए।

5.3 "बोली लगानेवालों" की चयनित सूची बनाने के लिए, प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन इसी प्रकार की परियोजनाओं को सँभालने के उनके पिछले अनुभव, श्रमशक्ति, वित्तीय स्थिति, प्रस्तुतीकरण और साक्षात्कार (इंटरव्यू) के आधार पर किया जाएगा। "बोली लगानेवाले (वालों)" की चयनित सूची बनाने के समय निम्नलिखित मानदंडों (सारणी 1) को अपनाया जाएगाः-

सारणी 1

क्रम सं.	**मानदंड**	**भारांक**	
	उप-मानदंड	**मानदंड कुल**	**उप-मानदंड**
1	परामर्शदाता का पिछला अनुभव (पिछला रिकॉर्ड)	55%	
	परामर्शदाता के अनुभव के वर्षों की संख्या		20%
	आरबीसी व्यवस्था के कार्यान्वयन के संबंध में बीमांकिक सेवा अथवा परामर्शक सेवा का पिछला अनुभव		40%
	निम्नलिखित को संचालित करने में पिछला अनुभव		
	बीमा उद्योग के लिए संचालित क्यूआईएस		

	जीवन बीमा व्यवसाय के लिए		10%
	साधारण बीमा व्यवसाय के लिए, स्वास्थ्य बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय सहित		10%
	किये गये अन्य आरबीसी अध्ययन के लिए (विनिर्दिष्ट करें)		
	जीवन बीमा उद्योग के लिए		5%
	साधारण बीमा व्यवसाय के लिए, स्वास्थ्य बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय सहित		5%
	वर्तमान शोधक्षमता पूँजी व्यवस्था से जोखिम आधारित पूँजी व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए दृष्टिकोण अथवा कार्यपद्धति		10%
2	मुख्य स्टाफ की अर्हता, अनुभव और संख्या की सामान्य रूपरेखा (वैयक्तिक सीवी नहीं)	20%	
	परियोजना के लिए नियुक्त किये जानेवाले अर्हता-प्राप्त बीमांककों की संख्या		10%
	परियोजना के लिए नियुक्त किये जानेवाले व्यक्तियों की संख्या (उपर्युक्त पैरा 5.1.2 के अनुसार न्यूनतम संख्या) तथा संबंधित क्षेत्र में उनकी संगत अर्हता और अनुभव		10%
	टीम के नेता की अर्हता और अनुभव		10%
	आरबीसी व्यवस्था के लिए मूल्यांकन और अन्य मात्रात्मक पहलुओं पर विनियम बनाने में टीम के नेता का अनुभव		10%
	ईओआई की प्रस्तुति की अंतिम तारीख से पहले 36 महीनों के अंदर पूरी की गई उपर्युक्त सेवाएँ		10%
	आरबीसी व्यवस्था के संबंध में अन्य बीमांकिक सेवाओं अथवा परामर्शक सेवाओं से टीम के नेता का संबंध		10%
	ईओआई की प्रस्तुति की अंतिम तारीख से 18 महीनों के अंदर पूरी की गई उपर्युक्त सेवाएँ		10%
	टीम के नेता के पास बीमा अथवा जोखिम प्रबंध अथवा वित्त के क्षेत्र में अनिवार्य अपेक्षाओं के अलावा अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता(एँ)		10%
	यदि परियोजना टीम भारत में स्थित है		10%
	परियोजना टीम (परियोजना टीम के नेता के साथ) को परियोजना के लिए पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है		10%

3	टर्नओवर, लाभप्रदता और नकदी प्रवाह (तरल आस्तियाँ) के तौर पर परामर्शदाता की समग्र आर्थिक स्थिति* (पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें उपलब्ध कराएँ)	10%	
	पिछले तीन वर्षों के लिए टर्नओवर		50%
	पिछले तीन वर्षों के लिए निवल लाभ की राशि		50%
4	प्रस्तुतीकरण और प्रत्यक्ष साक्षात्कार (इंटरव्यू) की गुणवत्ता	15%	
	कुल जोड़	**100%**	

* *संबंधित अंक दिये जाएँगे।*

आईआरडीएआई उन "बोली लगानेवाले (वालों)" की चयनित सूची बनाएगा जो बोली लगाने की प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए पात्र होने हेतु उपर्युक्त आबंटन के आधार पर न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करेंगे।

5.4 चयन समितिः संचालन समिति बोली लगानेवाले की पहचान करने और चयनित सूची बनाने के लिए चयन समिति होगी जो आईआरडीएआई को चयन के लिए सिफारिश करेगी। यह संचालन समिति निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी होगीः

क) वर्तमान शोधक्षमता पूँजी व्यवस्था से सुचारु रूप से और समय पर जोखिम आधारित पूँजी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

ख) आरबीसी समिति की रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तावित रूप में लक्ष्य दिनांक के अनुसार परियोजना का समापन सुनिश्चित करना।

5.4.1 परामर्शदाताओं को संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता, प्राधिकरण की अपेक्षाओं की समझ के स्तर आदि के आधार पर संचालन समिति उक्त सारणी के पैरा 4 में बताये गये रूप में अंक प्रदान करेगी।

5.4.2 संचालन समिति अंतिम रूप से सारणी 1 के अनुसार आबंटित अंकों के आधार पर न्यूनतम 3 और अधिकतम 8 शीर्षस्थ परामर्शदाताओं की चयनित सूची तैयार करेगी।

5.4.3 चयनित सूची में सम्मिलित परामर्शदाताओं के लिए आवश्यक है कि वे आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित रूप में आरएफपी प्रस्तुत करें। उक्त आरएफपी के दो घटक होंगे – तकनीकी और वित्तीय। परामर्शदाता/ओं के अंतिम चयन के लिए भारांक तकनीकी घटक (प्रस्तुतीकरण और साक्षात्कार को मिलाकर) के लिए 80% तथा वित्तीय घटक के लिए 20% होंगे।

5.5 ईओआई आवेदन की प्रस्तुति के लिए फार्मेटः

ईओआई आवेदन की प्रस्तुति के लिए फार्मेट फार्म I से फार्म VI तक के रूप में संलग्न है।

6. बोली लगानेवालों के लिए अनुदेशः "परियोजना" से वर्तमान शोधक्षमता पूँजी व्यवस्था से जोखिम आधारित पूँजी का कार्यान्वयन अभिप्रेत होगा।

6.1 ईओआई के प्रत्युत्तर में आवेदन का प्रस्तुतीकरणः

6.1.1 ईओआई का विज्ञापन चयनित समाचारपत्रों के माध्यम से किया जाएगा तथा आईआरडीएआई की वेबसाइट (www.irdai.gov.in) पर भी रखा जाएगा जिससे इसका व्यापक प्रचार किया जा सके और बड़ी संख्या में ऐसे पात्र "बोली लगानेवालों" को अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया जा सके, जिनके पास ऐसी सेवाएँ देने की क्षमता हो।

6.1.2 चयन पूर्णतया पैरा 5.1 और 5.2 में उल्लिखित अर्हता मानदंडों के आधार पर होगा।

6.1.3 "बोली लगानेवाले (वालों)" द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का उपयोग आईआरडीएआई द्वारा संभावित "बोली लगानेवाले" का चयन करने के लिए किया जाएगा।

6.1.4 "बोली लगानेवाले (वालों)" द्वारा आवेदन की प्रस्तुति की अंतिम तारीख और पद्धतिः "बोली लगानेवाला(वाले)" आवेदन उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में उसपर आईआरडीएआई के पते का उल्लेख करते हुए, जिसके शीर्ष पर "वर्तमान शोधक्षमता पूँजी व्यवस्था से जोखिम आधारित पूँजी के कार्यान्वयन के लिए गोपनीय आवेदन" लिखा जाएगा, प्रस्तुत करेगा/ करेंगे। इस प्रकार मुहरबंद किया गया लिफाफा एक अन्य लिफाफे में रखा जाएगा जिसपर निम्नलिखित पते पर आईआरडीएआई का पता लिखा जाएगा, तथा वह इस प्रकार पंजीकृत डाक से भेजा जाना चाहिए अथवा स्वयं आकर सुपुर्द किया जाना चाहिए जिससे वह आईआरडीएआई के पास 30 जनवरी 2018 को 17.30 बजे अथवा उससे पहले पहुँचे जो कि ईओआई हेतु आवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए अंतिम तारीख है।

"श्री एम. पुल्ला राव,
कार्यकारी निदेशक (सामान्य),
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण,
सर्व सं. 115/1, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगूडा, गच्चीबौली,
हैदराबाद-500 032"

यह सुनिश्चित करने का दायित्व कि आवेदन समय पर वितरित किये जाएँ, "बोली लगानेवालों" पर निहित है।

6.1.5 आईआरडीएआई अपने विवेक पर आवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए समय-सीमा बढ़ा सकता है, तथा ऐसी स्थिति में आईआरडीएआई एवं बोली लगानेवालों के सभी अधिकार और दायित्व बढ़ाई गई समय-सीमा के अधीन होंगे।

6.1.6 इस प्रयोजन के लिए गठित संचालन समिति के निर्णय के आधार पर चयन के लिए मानदंडों एवं ईओआई में विचारार्थ विषयों में आशोधन करने का अधिकार आईआरडीएआई के पास सुरक्षित है।

6.1.7 प्रस्तुतीकरण के लिए आईआरडीएआई द्वारा यथानिर्धारित समय-सीमा अथवा बढ़ाई गई समय-सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन को अस्वीकृत किया जाएगा।

6.1.8 इस ईओआई के प्रत्युत्तर में संबंधित "बोली लगानेवाले(वालों)" द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन आईआरडीएआई द्वारा संविदा के अधिनिर्णय तक विधिमान्य रहेंगे तथा "बोली लगानेवाले" ऐसी अवधि तक अपनी बोलियों द्वारा आबद्ध रहेंगे।

6.1.9 इस ईओआई के प्रत्युत्तर में बोली लगानेवाले(वालों) द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन और सामग्री(सामग्रियाँ) आईआरडीएआई की संपत्ति होंगी।

6.1.10 आईआरडीएआई उन व्ययों अथवा हानियों के लिए न तो जिम्मेदार होगा और न ही उनका भुगतान करेगा, जो "बोली लगानेवालों" द्वारा अपने आवेदन को तैयार करने अथवा उसके प्रस्तुतीकरण के संबंध में किये जाएँगे अथवा उठाई जाएँगी।

6.1.11 "बोली लगानेवालों" द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निजी और गोपनीय दस्तावेजों के रूप में माना जाएगा, चाहे आवेदन को आईआरडीएआई स्वीकार करेगा अथवा नहीं।

6.1.12 "बोली लगानेवालों" द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली बोली जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा और पुनर्बीमा सहित साधारण बीमा के लिए अलग-अलग होगी।

6.1.13 इस परियोजना के लिए बीमा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों (जीवन/साधारण/स्वास्थ्य/ पुनर्बीमा) हेतु एक अथवा एक से अधिक परामर्शदाताओ का अंतिम रूप से चयन करने का अधिकार आईआरडीएआई के पास सुरक्षित है।

7. अभिरुचि के अभाव की अभिव्यक्तिः

यदि "बोली लगानेवाला(वाले)" किसी भी समय इस ईओआई में सहभागिता करना नहीं चाहता है(चाहते हैं), तो इसकी जानकारी 6 फरवरी 2018 के 17.30 बजे से पहले दी जा सकती है।

8. विधिमान्यताः

"बोली लगानेवाला(वाले)" स्वीकार करेगा(करेंगे) कि इस ईओआई के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत आवेदन आईआरडीएआई के प्रति एक प्रस्ताव बनेगा, जो आईआरडीएआई द्वारा संविदा का अधिनिर्णय दिये जाने तक स्वीकृति के लिए खुला रहेगा। किसी शंका के निवारण के लिए, न

तो यह ईओआई और न ही इस ईओआई के प्रत्युत्तर में "बोली लगानेवाले(वालों)" द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रत्युत्तर तब तक कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार नहीं बनेगा, जब तक आईआरडीएआई और सफल "बोली लगानेवाले" के बीच निष्पादित संविदा के रूप में लिखित में आईआरडीएआई द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता।

9. स्वामित्व संबंधी सूचनाः

आवेदन के अंदर निहित डेटा के उपयोग पर सभी प्रतिबंधों एवं समस्त गोपनीय सूचना के विषय में "बोली लगानेवाले (वालों)" द्वारा अवश्य स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। आवेदन में अथवा इस ईओआई के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई स्वामित्व संबंधी सूचना के संबंध में देश के कानून(कानूनों) के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

फार्म I

[पात्रता के मानदंडों में अभिरुचि दर्शानेवाली कंपनी/फर्म/एजेंसी/संगठन/संस्थाएँ नीचे दिये गये फार्मेट के अनुसार संस्था के पत्र-शीर्ष (लेटर-हेड) पर एक प्रमाणपत्र भी संलग्न करें:]

"भारत में बीमा क्षेत्र में वर्तमान शोधक्षमता पूँजी व्यवस्था से जोखिम आधारित पूँजी के कार्यान्वयन" के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति

प्रमाणपत्र

मैं, _____, जो _____ के रूप में इस संगठन में कार्यरत हूँ तथा यह प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत हूँ, प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ किः

(क) हमने इन पात्रता-मानदंडों के लिए विज्ञापन की विषय-वस्तु का अवलोकन किया है तथा दिनांक ..... को प्रकाशित अभिरुचि की अभिव्यक्ति में उल्लिखित पात्रता-मानदंडों के अनुसार हम पात्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं।

(ख) हमारे पात्रता-मानदंडों का समर्थन करनेवाले सभी संगत दस्तावेज इसके साथ संलग्न हैं।

(ग) 50,000/- रुपये के लिए "भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण" के नाम _____ द्वारा जारी किया गया दिनांक _____ का माँग ड्राफ्ट (डीडी) / भुगतान आदेश इसके साथ संलग्न है#

(घ) हमारे पात्रता-मानदंडों का विवरण और उनकी विषय-वस्तु अधिप्रमाणित हैं तथा वे अभिलेख के अनुसार हमारी कंपनी/फर्म/एजेंसी/संगठन/संस्था के द्वारा किये गये वास्तविक कार्य पर आधारित हैं।

(ङ) हम समझते हैं कि यदि यह पाया जाता है कि हमारी कंपनी/फर्म/एजेंसी/संगठन/संस्था निर्धारित किसी मानदंड को पूरा नहीं करती अथवा यह पाया जाता है कि संगत विवरण / समर्थक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं, तो हमारा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है तथा इस संबंध में किसी पत्र-व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में आईआरडीएआई का निर्णय अंतिम होगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नामः .....

पदनामः

[रबड़ मुहर लगाएँ]

दिनांकः .....

स्थानः

बोली जीवन बीमा क्षेत्र और साधारण बीमा क्षेत्र के लिए अलग-अलग प्रस्तुत की जानी चाहिए। बोली के साथ रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये) का वापस न करने योग्य शुल्क प्रेषित किया जाएगा। तथापि, बोली लगानेवाला (बिडर) जो जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र के लिए बोलियाँ प्रस्तुत करता है, वह केवल रु. 50,000/- का वापस न करने योग्य शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी है।

फार्म-II

प्रस्ताव पत्र

वर्तमान शोधक्षमता पूँजी से जोखिम आधारित पूँजी व्यवस्था का कार्यान्वयन

प्रस्ताव पत्र का फार्मट

संदर्भ सं. दिनांकः

प्रति,
श्री एम. पुल्ला राव
कार्यकारी निदेशक (सामान्य)
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण,
सर्वे सं. 115/1, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगूडा, गच्चीबौली,

हैदराबाद-500032

विषयः जोखिम आधारित पूँजी के कार्यान्वयन के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर दिनांक ..... के आपके ..... के संदर्भ में हम वर्तमान शोधक्षमता पूँजी व्यवस्था से जोखिम आधारित पूँजी के कार्यान्वयन हेतु परामर्श कार्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए आवेदन करना चाहते हैं।

इस संबंध में नीचे उल्लिखित के बारे में संक्षिप्त विवरण से युक्त निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं।

क) हमारा संगठन और अनुभव (पिछली सेवा के प्रमाणपत्र संलग्न करें);

ख) टीम की संरचना;

ग) परियोजना के लिए समनुदेशित किये जानेवाले मुख्य कार्मिकों की अर्हता एवं अनुभव सहित पात्रता के मानदंडः (अर्हता एवं अनुभव प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें);

घ) स्टाफिंग अनुसूची

भवदीय,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुलग्नकः यथोपरि

फार्म III

बोली लगानेवाले का विवरण

वर्तमान शोधक्षमता पूँजी व्यवस्था से जोखिम आधारित पूँजी के कार्यान्वयन हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन के प्रस्तुतीकरण का फार्मेट

1. बोली लगानेवाली कंपनी/फर्म/एजेंसी/संगठन/संस्था का नामः
2. मुख्यालयः
3. पत्र-व्यवहार के लिए पतेः
4. संस्थापन का दिनांक और देशः (संबंधित दस्तावेज की प्रति संलग्न करे)
5. फर्म का पिछला अनुभवः-
   5.1 बीमांकिक सेवाएँ करने में अनुभव के वर्षों की संख्याः
   5.2 निम्नलिखित में प्रदत्त बीमांकिक सेवाओं का स्वरूपः-

5.2.1 जीवन बीमा

5.2.2 साधारण बीमा स्वास्थ्य बीमा सहित

5.2.3 पुनर्बीमा

5.2.4 आस्ति-देयता प्रबंध / निवेश

5.2.5 जोखिम आधारित पूँजी के कार्यान्वयन से संबंधित बीमांकिक सेवाएँ

(यदि वह प्रत्यक्ष संबद्धता थी अथवा आपकी सहयोगी / मूल कंपनियों के माध्यम से थी, तो विवरण दें):

6. व्यावसायिक शक्तियाँ :-

6.1 नियुक्त पूर्णकालिक व्यवसायियों की संख्याः

6.2 इस परियोजना के लिए नियुक्त पूर्णकालिक व्यवसायियों की संख्याः

6.3 विश्व के अन्य भाग में कार्यालयों का स्थानः

7. समापन से पहले बीच में किसी परियोजना को छोड़ने का कोई पूर्ववृत्तः
यदि हाँ, तो विवरण दें :

8. आर्थिक विधियों और विनियमों के उल्लंघन के लिए परामर्शदाता के किसी भी निदेशक के विरुद्ध पूर्व में लंबित अथवा प्रारंभ किये गये अथवा दोषसिद्धि में परिणत होनेवाले किसी अभियोजन का ब्योराः

9. क्या कोई लंबित अथवा पिछला मुकदमा है (तीन साल के अंदर)? यदि हाँ, तो ब्योरा दें :

10. पिछले तीन वर्षों में प्राप्त दावों और शिकायतों के विवरण का भी उल्लेख करें (कंपनी / आरबीसी / कंपनी के द्वारा प्रदत्त / लाइसेंसीकृत बीमांकिक सेवाओं के बारे में)

11. वार्षिक वित्तीय शक्तियाँ :

11.1 पिछल तीन वर्षों का टर्नओवर (करोड़ रुपये में):

11.2 पिछले तीन वर्षों के लिए लाभ (करोड़ रुपये में):

(लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों का प्रतिलिपि संलग्न करें)

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुलग्नकः यथोपरि

फार्म-IV

भारत में बीमा क्षेत्र में वर्तमान शोधक्षमता पूँजी व्यवस्था से

जोखिम आधारित पूँजी के कार्यान्वयन के लिए दृष्टिकोण अथवा कार्यपद्धति

वर्तमान शोधक्षमता पूँजी व्यवस्था से जोखिम आधारित पूँजी के कार्यान्वयन हेतु दृष्टिकोण और कार्यपद्धति के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट

1. परामर्शदाता द्वारा परियोजना के बारे में समझ (अधिकतम 500 शब्द):
2. परियोजना के कार्यान्वयन के प्रति विस्तृत दृष्टिकोण (अधिकतम 500 शब्द):
3. संविदा की अवधि के दौरान मुख्य कार्मिकों के त्यागपत्र और पदच्युति की स्थिति में परामर्शदाता / बोली लगानेवाले की नीति (अधिकतम 300 शब्द)

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फार्म-V

टीम की संरचना

वर्तमान शोधक्षमता पूँजी व्यवस्था से जोखिम आधारित पूँजी का कार्यान्वयन

टीम की संरचना (परियोजना में नियुक्त किये जाने के लिए प्रस्तावित मुख्य कार्मिकों) के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट

1. परामर्शदाता का नाम
2. परामर्शदाता के पास पूर्णकालिक व्यावसायिक स्टाफ / बीमांककों की संख्या
3. किसी संस्थान की सदस्यता का विवरण
4. परियोजना के लिए टीम की संरचना

क्रम सं.	नाम	अर्हता	विशेषज्ञता का क्षेत्र	समनुदेशित पद	अवधि	आरबीसी के क्षेत्र में अनुभव

5. अनुशासनिक कार्रवाइयाँ, यदि कोई हों (पिछले तीन वर्षों में)

प्रमुख अर्हता और अनुभव के प्रमाणपत्र संलग्न करें।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुलग्नकः यथोपरि

फार्म-VI

मुख्य कार्मिक

वर्तमान शोधक्षमता पूँजी व्यवस्था से जोखिम आधारित पूँजी का कार्यान्वयन

परियोजना में नियुक्त किये जाने के लिए प्रस्तावित मुख्य कार्मिकों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट

(नियुक्त किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक स्टाफ के लिए अलग शीट)

1. नामः
2. जन्म-तिथिः
3. शैक्षिक योग्यताः
4. अनुभवः
5. धारित पद, नवीनतम पद से प्रारंभ करते हुएः
6. प्रस्तावित अध्ययन में सौंपा गया पद; और अवधिः
7. विषय विशिष्ट अनुभव (बीमांकिक – जीवन/साधारण/स्वास्थ्य/पुनर्बीमा अथवा वित्त अथवा निवेश अथवा विनियामक विधि अथवा कोई अन्य, विवरण के साथ)
8. यदि स्टाफ किसी व्यावसायिक संघ / निकाय का सदस्य है, तो उसके विरुद्ध पूर्व में लंबित, अथवा प्रारंभ की गई अथवा दोषसिद्धि में परिणत होनेवाली अनुशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण अथवा यदि उसको किसी समय किसी व्यवसाय / पेशे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है, तो उसका विवरण
9. आर्थिक विधियों और विनियमों के उल्लंघन के लिए स्टाफ के विरुद्ध लंबित अथवा प्रारंभ किये गये अथवा पूर्व में दोषसिद्धि में परिणत अभियोजन, यदि कोई हो, का विवरण
10. स्टाफ के विरुद्ध लंबित अथवा प्रारंभ किये गये अथवा पूर्व में दोषसिद्धि में परिणत आपराधिक अभियोजन, यदि कोई हो, का विवरण
11. क्या स्टाफ को किसी समय सीमाशुल्क/ उत्पाद-शुल्क/ आय-कर/ विदेशी मुद्रा/ अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/ विनियमों/ वैधानिक अपेक्षाओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, यदि हाँ तो ब्योरा दें
12. अनुशासनिक कार्रवाइयाँ, यदि कोई हों (पिछले तीन वर्षों में)

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुलग्नकः यथोपरि

	INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENTAUTHORITY OF INDIA (IRDAI) **HYDERABAD**

Expression of Interest (EOI)

For Consultancy Service on

Implementation of Risk Based Capital from the existing Solvency Capital Regime

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (IRDAI)

Sy No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032

Telephone No. 040 - 20204000

I N D E X

S. No.	CONTENTS	Page No.
1.	Text of Advertisement Invitation For Expression of Interest	3
2.	Invitation To Expression of Interest	4

ADVERTISEMENT

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
HYDERABAD 500032

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Insurance Regulatory and Development Authority of India (hereinafter referred to as "IRDAI") invites sealed Expression of Interest (EOI) from consulting company/ Firms/Agencies/Organisations/Institutions (hereinafter referred as "consultant/s") for the Implementation of Risk Based Capital (hereinafter referred as "RBC") Regime for Indian Insurance Industry.

The EOI Document containing the brief objective & scope of work and evaluation criteria including the details of qualification criteria, submission requirement, etc. can be downloaded from the website www.irdai.gov.in.

Clarification, *if* any, may be obtained from Executive Director (General) –, Sy No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032 during working hours. Last date for submission of EOI is on or before 30th January 2018. Sealed envelope marked to the below mentioned address, containing EOI and non-refundable fee of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) by way of DD/Pay Order in favour of "Insurance Regulatory and Development Authority of India", payable at Hyderabad, mentioning "EOI for Implementation of RBC" on the top of the cover:

"Mr. M. Pulla Rao,
Executive Director (General)
Insurance Regulatory and Development Authority of India,
Sy No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli,
Hyderabad-500032
Telephone No. 040 - 20204000

(M. Pulla Rao)
Executive Director (General)
IRDAI, Hyderabad

Date: 09.01.2018

Note: IRDAI reserves the right to cancel this request for EOI and/or invite afresh with or without amendments, without liability not exceeding the non-refundable fee of Rs. 50,000/- or any obligation for such request for EOI and without assigning any reason. Information provided at this stage is indicative and IRDAI reserves the right to amend/add further details in the EOI.

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

FOR

Implementation of Risk Based Capital Regime from the existing Solvency Capital

Insurance Regulatory and Development Authority of India (hereinafter referred to as "IRDAI") invites Expression of Interest (EOI) from reputed Consulting companies/ Firms/Agencies/Organisations/Institutions (hereinafter referred as "consultant/s") to assist the IRDAI on implementation of Risk based Capital (hereinafter referred as "RBC") framework appropriate for the insurance industry in India and to provide necessary and essential advice and guidance in this respect.

Broad objectives are as under:

1. The IRDAI plans to move towards a risk based capital (RBC) regime that is appropriate and tailored for Indian Insurance Industry. For implementing RBC framework in India, IRDAI intends to take support of qualified consultants and thus invites proposals to carry out necessary analysis and India specific studies as needed for the aforesaid project, develop and implement Risk Based Capital framework as per the terms and conditions as decided through Request for Proposal and accordingly assist IRDAI in drafting Regulations.

2. IRDAI shall make the transition to RBC regime to commensurate to the principles followed in other jurisdictions across the globe and consistent to the prevalent Insurance Core Principles of International Association of Insurance Supervisors but with suitable adjustments made to the Indian context and after getting a better understanding of the likely impact on the industry.

3. The Consultant/s shall aim to develop, fine-tune and recommend the RBC framework covering Life Insurance, General Insurance, Health Insurance, and Reinsurance businesses for India as appropriate. The Consultant/s shall adopt an inclusive or consultative approach in developing and framing the draft regulations.

4. The selected consultant/s will assist the IRDAI on implementation of RBC approach in Indian Insurance Industry in line with the recommendation of the IRDAI Committees on (a) Risk Based Capital (RBC) Approach and Market Consistent Valuation of Liabilities (MCVL); and (b) Road Map for Risk Based Solvency Approach in Insurance Sector.

5. The report of the IRDAI Committee on RBC Approach and Market Consistent Valuation of Liabilities (MCVL) of Indian Insurance Business (First part dated 19th November 2016 and Second/Final part dated 17th July 2017) and Report of the Committee on Road Map for Risk Based Solvency Approach in Insurance Sector (dated 22 April 2014) shall be referred for further details on the key objective and scope of work. The above two documents shall be the reference points for the project.

6. Time Frame for complete implementation of RBC is 3 years from the date of starting of the project. However, IRDAI reserves the right to extend the dates.

Expression of Interest (EOI) Document for Engagement of Consultant/s for Implementation of Risk Based Capital regime for Indian Insurance Industry

1. **Background:**

   IRDAI is a Statutory body established under Section 3(1) of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (herein after referred as "ÏRDA Act") to protect the interests of policyholders of insurance policies and to regulate, promote and ensure orderly growth of the Insurance Industry and for matter connected therewith or incidental thereto. Please visit the website www.irdai.gov.in for information about the IRDAI. IRDAI is having its head office at Hyderabad and regional offices at Mumbai and New Delhi.

   IRDAI has the responsibility of regulating maintenance of margin of solvency as per Section 14(2)(l) of IRDA Act, read with Section 64V and 64VA of Insurance Act, 1938. The insurance companies are mandated to submit the solvency returns as per Section 13 and Section 15 of Insurance Act, 1938

   IRDAI constituted two Committees on (a) Roadmap for Risk Based Capital Approach in Insurance Sector and (b) Risk Based Capital Approach and Market Consistent Valuation of Liabilities. These committees submitted reports on 22nd April 2014, 19th November 2016 and 17th July 2017. These reports are available on the website of IRDAI (www.irdai.gov.in).

2. **Objective:**

   In pursuance of the recommendation of the Committee on RBC Approach and MCVL, the services of an eminent consultant/s need to be hired by inviting Expression of Interest (EOI) from reputed & qualified "Bidders" for short-listing as a pre-requisite for RFP (Request for Proposal) for providing services for framing draft regulations for Risk Based Capital and assist IRDAI to implement Risk Based Capital regime for Indian Insurance Industry in accordance with the recommendations of the Committees on RBC and MCVL and Road Map for Risk

Based Solvency Approach in Insurance Sector.

3. **Purpose of EOI:**

The purpose of this EOI is to evaluate interested “bidders” based on the criteria set out below to enable them to prepare and submit their responses for the services to be rendered to IRDAI in conformity with the Terms of Reference as a pre-requisite for RFP.

4. **Terms of Reference of the project:**

4.1 The broad terms of reference are provided below which might be further elaborated as part of RFP and on the basis of feedback received during EOI process.

(i) The Consultant/s shall be required to study the reports of the Committees on RBC Approach and MCVL and Road Map for Risk Based Solvency Approach in Insurance Sector, the Insurance Act, 1938 and other relevant laws and subordinate legislations. The Consultant/s is required to suggest the methodology/systems/process and procedure to implement Risk Based Capital Regime to assess the solvency of an Indian Insurance Company based on recommendation of the above mentioned committees.

(ii) The Consultant/s shall be required to conduct an extensive study to submit a report on preparedness of the industry, submit gap analysis report along with calculations, assumptions etc. in order to compare the calculations in the current regime and required under RBC regime.

(iii) The Consultant/s shall be required to consider the characteristics of Indian Insurance market which should at the minimum include the business and risk profiles of the insurers, legal structures and environment, products & distribution framework, economic and capital market environment applicable to Indian Insurance market.

(iv) The Consultant/s shall be required to study the Key Risks in the context of Indian

Insurance Business that are to be included in the framework and different approaches that are suitable for different type of risks.

(v) The Consultant/s shall be required to submit separate applications for (a) Life Insurance and for (b) General Insurance including Health Insurance and Reinsurance business. However, the Consultant/s may pay the fees once even if they submit two applications.

(vi) The proposed framework shall consider the guiding principles and key parameters as specified in the prevalent Insurance Core Principles (ICPs) issued by International Association of Insurance Supervisors (IAIS) and take in to account the recent developments in global capital standards (including Global Insurance Capital Standard “ICS”) requirements as being developed by IAIS and Indian Accounting Standards.

(vii) The Consultant/s shall be required to develop a framework to conduct Quantitative Impact studies (QIS) and conduct at least 3 such studies during the period of engagement and as per the agreed timelines as will be specified in RFP.

(viii) The Consultant/s shall be required to carry out QIS (Quantitative Impact Studies) for making recommendations and/amending the suggested RBC draft regulations till the target calibrations are reached. This includes designing the format for data collection, organizing briefing session(s) to the participating insurers of the QIS, explaining to them the data and information required and answering enquiries from the participating insurers for assisting them to complete the data formats for this purpose.

(ix) The Consultant/s shall be required to assess and report the impact that is likely to have on the Indian Insurance Industry following Risk Based Capital regime, based on the suggested model.

(x) The Consultant/s shall be required to develop and recommend the detailed draft

regulations for RBC in India including calibration of risk parameters to determine risk charges.

(xi) The recommendation should cover the following aspects:

a. Quantitative aspects of valuation of assets and liabilities, technical provisions, capital requirements, Risk calibrations, and other requirements to identify and assess all relevant and material risks faced by a licensed insurer (including how different risks are weighted and how such risks interact with each other) in order to arrive at a model that determines the amount of capital required such that they can withstand significant unforeseen losses, treatment of embedded options and guarantees, asset side adjustments, if any, aggregation and diversification of risks.

b. Qualitative aspect of corporate governance, Enterprise Risk Management (ERM) and own risk and solvency assessment ("ORSA") and

c. Disclosure aspect on the quantitative and qualitative information to be disclosed to IRDAI as well as to the public at large.

(xii) The Consultant/s shall be required to coordinate with the industry players before finalizing any recommendations to ensure that the new requirements and changes do not disturb the stability of the insurers and Industry at large while aligning with the proposed Regulations.

(xiii) The Consultant/s shall be required to recommend on the transitional arrangements to IRDAI from the current capital regime to the RBC regime including timeframe for next revision of parameters.

(xiv) The Consultant/s shall be required to develop or suggest amendments to the extant regulations that are required to transit from the current regime to the RBC regime.

(xv) The Consultant/s shall be required to provide recommendations for capital supervisory approach including how an appropriate control level of solvency

(CLS) should be determined, and level of Regulatory intervention measures in case an insurer or reinsurer does not maintain required CLS as per Section 64VA of Insurance Act, 1938.

(xvi) The Consultant/s shall be required to prepare and provide standardized templates for on-going periodical regulatory monitoring and reporting.

(xvii) The Consultant/s shall be required to provide a Full Consultation Document covering risk capital requirements, available capital criteria, supervisory capital requirement levels to maintain the control level of solvency margin along with various alternate methods that are considered while making a particular recommendation and basis for such conclusions. This document should cover all the decisions or conclusions that are made during the process of transiting from current regime to RBC regime.

(xviii) The Consultant/s shall be required to deliver the full calibration models to be used in the process along with full documentation and Audit Trails as per the acceptable model documentation standards which enables IRDAI to understand, use and modify these models on an ongoing basis.

(xix) As and when required by IRDAI the Consultant/s shall be required to Conduct seminars to educate industry players and regulatory staff on various matters related to RBC framework and its implementation.

4.2 Expected Outcome:

(i) Report of consultative study conducted in conjunction with the insurers' gap assessment and risk identification.

(ii) Report of Quantitative Impact Study 1 on a set of selected insurers

a. Approach to determine risk capital and identify the risks to be included in RBC

b. Review of risks to be included in RBC and finalisation of the proposed risk grid

(iii) Report of Quantitative Impact Study 2 to determine the parameters for identification of Risk

(iv) Finalisation of templates for submission - periodical Disclosures - draft proforma submissions

(v) Focused training for the Regulatory staff and other stakeholders, Organise seminars and trainings to educate all insurers and stakeholders

(vi) Report of Quantitative Impact Study 3 to assess any finer changes or further refinement based on proforma submissions,

(vii) Final Impact assessment at an industry level focussing on essential contents and framing applicable regulations,

(viii) Final report including archives and other related documentation - Regulatory intervention, if any - Corporate governance and risk management - Gap assessment report with respect to IAIS specifics

(ix) Review with the regulatory staff and companies, give feedback on individual submissions.

4.3 Duration of Engagement: The Consultant/s shall be required to commit till the project is declared completed by IRDAI subject to minimum time frame of three years from the starting date of the project.

4.4 Supervision: The Consultant/s shall carry out the project work under the supervision of the Steering Committee for Implementation of Risk Based Capital Regime set by IRDAI (hereinafter referred as “Steering Committee”) for this purpose.

5. **Pre-qualification criteria:**

The bidders are required to meet all the Pre-qualification criteria as mentioned below:

5.1 **Mandatory Requirements**

Consultancy proposals must meet all of the essential requirements set out below:

5.1.1 The Consultant/s or its parent, associate and / or subsidiary companies must have provided and completed at least one actuarial service or consultancy service.

5.1.2 The Consultant/s must nominate a project team for the performance of the Consultancy ("Project Team"). The proposed Project Team must comprise at least four individuals, one of them being nominated as the team leader.

5.1.3 The Consultant or its parent, associate and / or subsidiary companies must not have blacklisted by any regulator or professional body or by any Govt agency whether in India or outside India;

5.1.4 The proposed team leader must:

5.1.4.1 be a full-time staff of the Consultant/s firm/company;

5.1.4.2 be a qualified actuary who possess at least one of the following professional qualifications or their equivalents:

5.1.4.2.1 Fellow of the Institute of Actuaries of India (FIAI),

5.1.4.2.2 Fellow of the Society of Actuaries (FSA),

5.1.4.2.3 Fellow of the Institute and Faculty of Actuaries (FIA /FFA),

5.1.4.2.4 Fellow of the Institute of Actuaries of Australia (FIAA),

5.1.4.2.5 Fellow of the Canadian Institute of Actuaries (FCIA), or

5.1.4.2.6 Fellow of the Casualty Actuarial Society (FCAS); And

5.1.4.3 have at least 10 years of experience during which he/ she must have occupied a position at senior management and/or senior consultant level or above in terms of the roles played in consultant in the fields of actuarial science, insurance and/or finance. The cut-off date for counting years of experience required shall be the last date of submission of EOI.

5.1.4.4 should not be a subject matter of any disciplinary action or inquiry of the above institute in last three years

Any proposal by the Consultant which fail to meet with any of the essential requirements set out above shall be disqualified.

5.2 **Preferred requirements**

5.2.1 It is highly preferred that the consultant or its parent, associate and/or subsidiary companies have provided and completed at least one actuarial service or consultancy service on implementation of RBC regime.

5.2.2 It is preferable that the team leader have experience in formulating regulations on valuation and other quantitative aspects for RBC regime. Higher marks will be awarded to such experience, particularly for the services completed within 36 months before last date of submission of EOI. Documentary proof to this effect shall be submitted.

5.2.3 For the experience of the team leader in relation to other actuarial services or consultancy services on RBC regime, higher marks will be awarded to the services in relation to the field of RBC regime, particularly for the services completed within 18 months before last date of submission of EOI.

5.2.4 It is preferable that the team leader possesses additional professional qualification(s) in the field of insurance or risk management or finance other than

those stated above.

5.2.5 The team leader is expected:

5.2.5.1 to be the primary contact point for communication with IRDAI representative;

5.2.5.2 to be based in India throughout the Contract Period; and

5.2.5.3 To be actively involved in the RBC project on a full time basis.

5.2.6 At least two of the other team members as mentioned above must be qualified Actuaries with expertise in Life and General Insurance business.

Other members of the Project Team should have qualifications, experience, skills and expertise in actuarial science, accounting, finance, insurance management or insurance regulatory services. It is preferable that members have experience relating to services on RBC regime, particularly on quantitative aspects for RBC regime. Higher marks will be awarded to such experience, particularly for the RBC implementation completed within 18 months before Bid Closing Time. The size of the team should reflect the specialisations necessary to deliver the service required for different sectors (Life/General/Health/Reinsurance) of the insurance industry for this project. Documentary proof to this effect shall be submitted.

5.2.7 Subject to the requirement of above paragraph, where the team leader must be a full-time employee of the consulting firm, the consulting firm is allowed to engage its own staff and/or staff from its parent, associate and/or subsidiary companies to form the Project Team for the purpose of the Consultancy.

5.2.8 It is preferable that the Project Team is based in India throughout the Contract Period.

5.2.9 It is preferable that the Project Team is engaged for the project on full time basis.

5.3 The applications received will be evaluated for short listing of “Bidders” based on their past experience of handling similar types of projects, man power, financial health, presentation and interview. The following criteria (Table.1) will be adopted while short listing of the “Bidder(s)”: -

Table 1

Sl. No.	**Criteria** **Sub-Criteria**	**Weightage** **Criteria Total**	 **Sub-criteria**
1	Past experience of the consultant (track record)	55%	
	Number of years’ experience of the Consultant		20%
	Past experience of actuarial service or consultancy service on implementation of RBC regime		40%
	Past experience in carrying out		
	QIS conducted for insurance Industry		
	For Life Insurance Business		10%
	For General Insurance Business including Heath Insurance and Reinsurance Business		10%
	Other RBC Studies carried out (Please specify)		
	For Life Insurance Business		5%
	For General Insurance Business including Heath Insurance and Reinsurance Business		5%

	Approach or methodology for Implementation of Risk Based Capital from the existing Solvency capital regime		10%
2	General profile of qualification, experience and number of key staff (not individual CVs)	20%	
	Number of qualified Actuaries to be engaged for the project		10%
	Number of persons to be engaged for the project (Minimum number as per para 5.1.2 above) and their relevant qualification and experience in related field		10%
	Team leader's qualification and experience		10%
	Team leader have experience in formulating regulations on valuation and other quantitative aspects for RBC regime		10%
	Above services completed within 36 months before last date of submission of EOI		10%
	Team leader in relation to other actuarial services or consultancy services on RBC regime		10%
	Above services completed within 18 months before last date of submission of EOI		10%
	Team leader possesses additional professional qualification(s) in the field of		10%

	insurance or risk management or finance other than those mandatory requirements		
	If the project team is based in India		10%
	Project Team (including Project Team Leader) is engaged for the project on full time basis		10%
3	Overall financial strength of the consultant in terms of turnover, profitability and cash flow (liquid assets) situation* (Pl provide the annual reports of last three years).	10%	
	Turnover figure for last three years.		50%
	Net profit figure for last three years		50%
4	Quality of presentation and face to face interview.	15%	
	Totals	**100%**	

**Relative marks will be assigned.*

IRDAI shall short list those "Bidder(s)" who secure a minimum of 60% marks based on above allocation to be eligible for taking further part in the Bidding Process.

5.4 **Selection Committee:** The Steering Committee shall be the selection committee for identification, shortlisting of the bidder and recommend for selection to IRDAI. This Steering Committee will also be responsible for the following:

a) Ensure smooth and timely implementation of Risk Based Capital from the existing Solvency capital regime.
b) Ensure completion of the project as per the target date as proposed in the RBC Committee report.

5.4.1 The Consultants shall be called for presentation and interview before the Steering Committee. Based upon the quality of the presentation, level of understanding of the requirements of the Authority etc, the Steering Committee shall award the marks as stated in para 4 of the Table.

5.4.2 The Steering Committee will finally shortlist minimum 3 and maximum 8 top Consultants based on the marks allocated as per Table 1.

5.4.3 The shortlisted Consultants need to submit RFP as shall be prescribed by IRDAI. The RFP shall have two components – Technical and Financial. The weightage for Technical Component (including presentation and interview) shall be 80% and for Financial Component shall be 20% for final selection of Consultant/s.

5.5 Format for submission of EOI application:

The format for submission of EOI application is enclosed as Form I to Form VI

6. **Instructions to the Bidders:** "The project" shall mean implementation of Risk Based Capital from the existing Solvency capital regime.

6.1 **Submission of the application in response to EOI:**

6.1.1 This EOI is advertised through select Newspapers and is also posted on website of IRDAI (www.irdai.gov.in), to give wide publicity and invite a large number of eligible "Bidders" who have the capability to deliver such services, for their participation in the process of Expression of Interest.

6.1.2 Selection shall be strictly based on qualification criteria mentioned in para 5.1 and 5.2

6.1.3 The information provided by the "Bidder(s)" will be used by IRDAI to select potential "Bidder".

6.1.4 Last date & method of submission of application by the "Bidder(s)": The "Bidder

(s)" shall submit application through properly sealed envelope mentioning the address of IRDAI thereupon super scribing "CONFIDENTIAL-Application for implementation of Risk Based Capital from the existing Solvency capital regime". The envelope so sealed shall be inserted in the another envelope addressed to IRDAI at the following address and should be sent by registered post or delivered in person, so as to reach IRDAI on or before 17:30 hours of 30th January 2018, being the last date for submission of the application for EOI: -

"Mr. M Pulla Rao,
Executive Director (General),
Insurance Regulatory and Development Authority of India,
Sy No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli,
Hyderabad-500032"

The responsibility for ensuring that the applications are delivered in time vests with the "Bidders".

6.1.5 IRDAI may, at its discretion, extend this deadline for the submission of application, in which case, all rights and obligations of IRDAI and Bidder(s) shall be subject to the deadline as extended.

6.1.6 IRDAI reserves the right to modify the criteria for selection and terms of reference in EoI based on the decision of the Steering Committee set up for this purpose.

6.1.7 Any application received by IRDAI after the deadline or extended deadline for submission as prescribed by the IRDAI, shall be rejected.

6.1.8 The applications submitted by the respective "Bidder(s)" in response to this EOI shall be valid until the award of the contract by IRDAI and the "Bidders" shall be bound by their bids until such period.

6.1.9 The application(s) and material(s) submitted by the Bidder(s) in response to this EOI will become the property of IRDAI.

6.1.10 IRDAI shall neither be responsible nor pay any expenses or losses which may be incurred / caused by the "Bidder(s)" in the preparation and submission of their application.

6.1.11 The application submitted by "Bidders" shall be treated as private and confidential documents, whether or not IRDAI accepts an application.

6.1.12 **The bid submitted by "Bidders" shall be separate for Life insurance and General insurance including Health Insurance and Reinsurance.**

6.1.13 IRDAI reserves the right to finally select one or more than one consultants for different sectors (Life/General/Health/Reinsurance) of the insurance industry for this project.

7. **Expression of Non-Interest:**

If the "Bidder(s)", at any point of time, wishes not to participate in this EOI, the same information may be communicated to IRDAI before 17:30 hours of 6th February 2018.

8. **Validity:**

The "Bidder(s)" acknowledge that the application submitted in response to this EOI shall constitute an offer to IRDAI, which shall remain open for acceptance until the contract is awarded by the IRDAI. For the avoidance of doubt, neither this EOI nor any response submitted by the "Bidder(s)" in response to this EOI shall constitute a legally binding agreement unless and until accepted by IRDAI in writing in the form of a contract executed between the IRDAI and the successful "Bidder".

9. **Proprietary Information:**

All restrictions on the use of data contained within an application and all confidential information must be clearly stated by the "Bidder (s)". Proprietary information

submitted in an application, or in response to the EOI, will be handled in accordance with the applicable law(s) of the land.

FORM I

[COMPANY/ FIRM/AGENCY/ORGANISATIONS/INSTITUTIONS EVINCING INTEREST IN THE ELIGIBILITY CRITERIA SHOULD ALSO ENCLOSE A CERTIFICATE ON LETTER HEAD OF ORGANIZATION AS PER FORMAT GIVEN BELOW:]

EXPRESSION OF INTEREST FOR "IMPLEMENTATION OF RISK BASED CAPITAL FROM THE EXISTING SOLVENCY CAPITAL REGIME IN INSURANCE SECTOR IN INDIA"

CERTIFICATE

I, _____, WORKING AS _____IN THIS ORGANIZATION AND IS AUTHORIZED TO ISSUE THIS CERTIFICATE CERTIFY THAT:

(A) WE HAVE GONE THROUGH THE CONTENTS OF ADVERTISEMENT FOR THIS ELIGIBILITY CRITERIA AND FULFILL ALL THE ELIGIBILITY CRITERIA AS PER ELIGIBILITY CRITERIA MENTIONED IN THE EXPRESSION OF INTEREST PUBLISHED DATED ……...

(B) ALL RELEVANT DOCUMENTS SUPPORTING OUR ELIGIBILITY CRITERIA ARE ENCLOSED HEREWITH

(C) THE DD/PAY ORDER IN FAVOUR OF "INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA" FOR RS. 50,000/- ISSUED BY

_____ DATED _____IS ENSLOSED #

(D) THE DETAILS AND CONTENTS OF OUR ELIGIBILITY CRITERIA ARE AUTHENTICATED AND BASED ON ACTUAL WORK CARRIED OUT BY OUR COMPANY/ FIRM/AGENCY/ORGANISATION/INSTITUTION, AS PER RECORD.

(E) WE HAVE UNDERSTOOD THAT IN CASE IT IS FOUND THAT OUR COMPANY/ FIRM/AGENCY/ORGANISATION/INSTITUTION IS NOT FULFILLING ANY OF THE LAID DOWN CRITERIA, OR RELEVANT DETAILS/SUPPORTING DOCUMENTS ARE NOT FOUND TO BE ENCLOSED, OUR APPLICATION SHALL BE LIABLE TO BE REJECTED AND NO CORRESPONDENCE IN THIS REGARD SHALL BE ENTERTAINED. THE DECISION OF IRDAI IN THIS REGARD SHALL BE FINAL

DATED: …… **SIGNATURE OF AUTHORIZED SIGNATORY**

PLACE: **NAME: ……**

DESIGNATION:

[PLEASE AFFIX RUBBER STAMP]

Bid has to be submitted separately for life insurance sector and general insurance sector. The bid shall be accompanied by a non-refundable fee of Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand). However, a bidder submitting bids for life and general insurance sector is liable to pay a non-refundable fee of Rs.50,000/- only.

FORM- II

Letter of proposal

Implementation of Risk Based Capital Regime from the existing Solvency capital

Format for Letter of Proposal

Ref. No. Date

To

Mr. M Pulla Rao
Executive Director(General)
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA,
Sy No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli,
Hyderabad-500032

Subject: Expression of Interest (EOI) for Implementation of Risk Based Capital

Sir,

With reference to your ---------- dated…… on the subject cited above, we wish to apply for providing consultancy services for Implementation of Risk Based Capital from the existing Solvency capital regime.

In this connection, the following documents are submitted containing brief about

a) Our organization and experience (Please enclose the previous service certificates);
b) Team composition;
c) Eligibility criteria including Qualification and experience of key personnel to be assigned for the project: (Please enclose the copy of the qualification and

experience certificate);

d) Staffing schedule

Enclosures: as above

Yours faithfully,

Authorized Signatory

FORM III

Details of Bidder

FORMAT FOR SUBMISSION OF APPLICATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR IMPLEMENTATION OF RISK BASED CAPITAL FROM THE EXISTING SOLVENCY CAPITAL REGIME

1. Name of bidding company/ Firm/Agency/Organisation/Institution:
2. Headquarter
3. Addresses for Correspondence:
4. Date & country of incorporation (enclose copy of relevant document)
5. Past experience of the firm: -
   - 5.1. No. of years in having experience in carrying out Actuarial Services:
   - 5.2. Nature of Actuarial Services provided in: -
     - 5.2.1. Life Insurance
     - 5.2.2. General Insurance including Health Insurance
     - 5.2.3. Reinsurance
     - 5.2.4. Assets Liability Management / Investments
     - 5.2.5. Actuarial Services related to implementation of Risk Based Capital (Provide details if it was direct involvement or through your Associate/Parent Companies):
6. Professional strengths: -
   - 6.1. No. of full time professional engaged:
   - 6.2. No. of full time professional engaged for this project:
   - 6.3. Location of offices in other part of world:

7. Any past history of leaving a project mid-way before completion:
   If so, please give details:

8. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against any of the Director of the consultant for violation of economic laws and regulations:
9. Any pending or past litigation (within three years)? If yes, please give details:

10. Also mention the details of claims and complaints received in the last three years (About the Company / RBC / Actuarial services that are rendered / licensed by the company)

11. Annual Financial strengths:
    11.1. Turnover for last 3 years (Rs. in crore):
    11.2. Profits for last three years (Rs. In Crore):
    (Please attached copy of the Audited Financial Statements)

Enclosures: as above

(Authorised Signatory)

FORM- IV

Approach or methodology for Implementation of Risk Based Capital from the existing Solvency capital regime in Insurance Sector in India

Format for furnishing details about Approach & Methodology for Implementation of Risk Based Capital from the existing Solvency capital regime

1. Understanding about the project by the consultant (Maximum 500 words):

2. Detailed Approach towards implementation of the project (Maximum 500 words)

3. Consultants/bidder policy in case of Resignation and Removal of key personnel during the contract period (Maximum 300 words)

(Authorized Signatory)

FORM- V

Team composition

Implementation of Risk Based Capital from the existing Solvency capital regime

Format for furnishing details about Team Composition (Key personnel proposed to be engaged in the project)

1. Name of the Consultant
2. No. of full time professional staff/Actuaries with the consultant
3. Details of the membership of any institute
4. Team composition for the project

Sl. No.	Name	Qualification	Area of Expertise	Position assigned	Duration (months)	Experience in the area of RBC

5. Disciplinary Actions, if any (In last three years)

Please enclose major qualification and experience certificates.

Enclosures: as above

(Authorized Signatory)

FORM- VI

Key personnel

Implementation of Risk Based Capital from the existing Solvency capital regime

Format for furnishing details of Key personnel proposed to be engaged in the project

(Separate sheet for each staff proposed to be engaged)

1. Name:
2. Date of Birth:
3. Educational Qualification:
4. Experience:
5. Position held, starting with the latest position:
6. Position assigned in the proposed study; and duration:
7. Subject Specific Experience (Actuarial – Life/General/Health/Reinsurance or Finance or Investment or Regulatory Law or any other with details)
8. If the staff is a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him / her or whether he / she has been banned from entry to any profession / occupation at any time.
9. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the staff for violation of economic laws and regulations
10. Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in

conviction in the past against the staff

11. Has the staff at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars
12. Disciplinary Actions, if any (In last three years)

Enclosures: as above

(Authorized Signatory)